माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर, केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांकः– /2010–11 पुनरीक्षण – 855 - I/10

1– आनंदीलाल पिता स्व0 श्री दयालालजी, जाति ब्राह्मण, आयु 68 वर्ष, व्यवसाय– कृषि,

2– अनोखीलाल पिता स्व0 श्री दयालालजी, जाति ब्राह्मण, आयु 60 वर्ष, व्यवसाय–कृषि,

दोनों निवासीगण – ग्राम टकरावदा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म0प्र0)

–– आवेदकगण

विरूद्ध

हंसकुंवरबाई पति स्व0 श्री दयालालजी, आयु 85 वर्ष, व्यवसाय – कृषि, निवासी ग्राम टकरावदा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म0प्र0)

–– अनावेदिका

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता। न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/2009–10 विविध श्रीमती हंसकुंवरबाई विरूद्ध आनंदीलाल आदि में पारित आदेश दिनांक 27/4/2010 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत है :–

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

1– यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त इस प्रकार हैं कि आवेदकगण व अनावेदिका ने तहसीलदार नागदा के समक्ष एक आवेदन पत्र वसीयत के आधार पर संपत्ति पर नामान्तरण किये जाने बाबद प्रस्तुत किया था जो प्रकरण क्रमांक 38/अ–6/2008–09 पर दर्ज हुआ । इस प्रकरण में अधीनस्थ तहसीलदार के न्यायालय में प्रकरण के लंबन के दौरान अनावेदिका द्वारा एक आवेदन पत्र धारा 29 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत कर अधीनस्थ

—2

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.....**निगरानी 855–एक/2010**..... .....जिला.....**उज्जैन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23/12/15	आवेदकगण के अभिभाषक श्री सॅजय नागर एंव अनावेदक के वारिसान के अभिभाषक ने सॅयुक्त रूप से आवेदन प्रस्तुत कर विचाराधीन निगरानी को इस आधार पर समाप्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय में भेजने का आग्रह किया है कि तहसील नागदा जिला उज्जैन के यहां से प्रकरण तहसील खाचरौद में सुनवाई हेतु हस्तांतरित किया गया था वर्तमान में पीठासीन अधिकारी का ट्रॉसफर हो चुका है इसलिये प्रकरण तहसील नागदा में चलाने में कोई आपत्ति नहीं है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया गया, जिसे स्वीकार करने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है। अतः प्रकरण गुणदोष पर विचार किये बिना इसी स्तर पर समाप्त किया जाकर तहसीलदार नागदा की ओर इस निर्देश वापिस किया जाता है कि प्रकरण वर्ष 2008–09 से पंजीबद्व होकर लम्बित है अतः हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई कर प्रकरण का अंतिम निराकरण 90 दिवस के भीतर करें। (डॉ0मधु खरे) सदस्य राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर	